

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद-देवरिया।

पत्र संख्या-2015/24122/डीओए/देवरिया/248/सीएफओ/ दिनांक-जनवरी, 29 2022

सेवा मे,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
सेन्ट जेवियर्स स्कूल
भाटपाररानी, जनपद-देवरिया।

विषय:-सेन्ट जेवियर्स स्कूल भाटपाररानी जनपद-देवरिया के स्कूल/भवन मे स्थापित अग्निशमन ब्यवस्थाओ का अग्नि/जीवरक्षा सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण कराकर अग्निशमन सुरुक्षा प्रमाण-पत्र (नवीनीकरण) निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे-

सन्दर्भ:-आपके पत्र संख्या-शून्य

दिनांक:17.01.2022

कृपया उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ मे सेन्ट जेवियर्स स्कूल भाटपाररानी जनपद-देवरिया में अग्नि/जीवरक्षा सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:- टोटल प्लाट एरिया:- 8524.94 वर्ग मीटर।
निर्मित ग्राहण्ड फ्लोर कवर्ड एरिया:- 852.69 वर्ग मीटर।
भवन की ऊँचाई:- 3.50 मीटर।

1. पहुँच मार्ग-उक्त स्कूल भवन तक अग्निशमन के वाहन आवागमन करते हुए अग्निशमन कार्य कर सकते है।
2. स्वचालित स्प्रिंकलर पद्धति वांछित नही है।
3. अग्निशमन कार्य हेतु पानी की स्थायी भूमिगत/टेरिस टैंक क्षमता 5000 लीटर तथा टेरिस पम्प 450 एल0पी0एम0 का वांछित नही है।
4. फर्स्ट एण्ड होजरील प्रत्येक तल पर जो टेरिस टैंक से डाउन कमर से जुडा हो वांछित नही है।
5. भारतीय मानक संस्थान की प्रमाणीकरण चिन्हयुक्त 12 अदद प्राथमिक अग्निशामक उपकरण स्थापित किया गया है, जिसका टेस्टिंग फीस रू 120/- भारतीय स्टेट बैंक राघवनगर देवरिया मे दिनांक:28.01.2022 को जमा कराया गया जो कार्यशील दशा मे है।
6. कम्पार्टमेशन वांछित नही है।
7. स्वचालित अग्नि सूचक और चेतावनी पद्धति वांछित नहीं है।
8. निकास मार्ग के प्रदिप्त संकेत चिन्ह पाये गये।
9. विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक श्रोत के अन्तर्गत जनरेटर सेट लगाया पाया गया।
10. सम्पूर्ण स्कूल/भवन में पी0ए0 सिस्टम स्थापित किया गया है, जो कार्यशील दशा में है।
11. निकास की आवश्यकताएं एवं अग्नि से बचाव के मार्ग की ब्यवस्था संतोषजनक पायी।
12. स्कूल/भवन में 01 अदद स्टेयर केस स्थापित किया गया है।
13. विद्यालय मे उपस्थित कर्मचारियो को प्राथमिक अग्निशमन उपकरण संचालित करने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

अतः उपरोक्त अग्निशमन ब्यवस्थाओ को सदैव कार्यशील बनाये रखने तथा एन.बी.सी. 2005 तथा मानक संख्या: 2190:1992 तथा उ0 प्र0 अग्निनिवारण व अग्नि सुरक्षा नियमावली-2005 के नियम-4 मे दिये गये निर्देशो का पालन करना तथा अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित प्रबन्धक/ब्यवस्थापक का उत्तरदायित्व होगा की समय से नवीनीकरण कराने की शर्त पर अग्निशमन/जीवरक्षा ब्यवस्था का अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है, जो निर्गत तिथि से एक (01) वर्ष तक वैध माना जायेगा। अग्निशमन ब्यवस्था अकार्यशील होने की दशा मे यह प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

29.1.2022
(सुरेन्द्र प्रसाद राय)
अग्निशमन द्वितीय अधिकारी,
जनपद-देवरिया।

Suresh Chandra
Principal

St. Xavier's School
Bhatpar Rani, Deoria

Suresh Chandra
Manager

St. Xavier's School
Bhatpar Rani, Deoria